यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अ भयन्ता, 8वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधीक्षण अ भयन्ता, 8वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी के माह 06/2012 से 09/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 09/10/2017 से 13/10/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री दिनेश रमोला, दीपक मालवीय, राघवेन्द्र संह, लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 21/06/2012 से 23/06/2012 तक श्री जे.एम.एस. रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2005 से 05/2012 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2012 से 09/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत राज्य योजना/ जिला योजना/ निक्षेप मद में स्वीकृत मार्ग/सेतु/ भवन कार्यों का निर्माण एवं पुनः निर्माण एवं पुनः निर्माण तथा सुधार कार्य अधीनस्थ खण्डों के माध्यम से करवाया जाता है।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2012-13			6593095	6569608	-	-	-	30087
2013-14			8241730	7263520	-	-	-	978210
2014-15			8981869	8980411	-	-	-	1458
2015-16			14607446	12609102	-	-	-	1998339
2016-17			12081455	12095526	-	-	-	5929

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, 8वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधीक्षण अ भयन्ता, 8वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/13, 08/16 व 04/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। .....का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 'अ'

-शून्य-

भाग-2 'ब'

प्रस्तर 1:- उल्लि खत शर्तो के अनुसार नव नि र्मत हाईस्कूल व इंटर कॉलेज के भवनो का निर्माण न कया जाना व उद्देशयो के अनुरूप पूर्ण नि र्मत भवनो का उपयोग सुनिश्चित न कये जाने से छात्र छात्राओ को पठन- पठान मे परेशानी एव ठेकेदार के देयकों का भुगतान लंबित रहना।

Financial Hand Book vol. VI provides that the Superintending Engineer is responsible that no delay is allowed to occur in the submission of completion reports.

कार्यालय के अ भलखो व पत्रावली के अनुसार राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान के अंतर्गत 5 हाईस्कूल व इंटर कॉलेज जिन की स्वीकृत लागत ` 185.80 लाख थी के निर्माण कार्यो के लए ज़िला परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान टिहरी (सभी के लए माध्या मक शक्षा परिषद) ने लोक निर्माण वभाग के प्रा0खा0 नई टिहरी , अ0 ख0 घनसली व कीर्तिनगर तथा निर्माण खण्ड नेरन्द्रनगर के साथ अनुबन्ध कया थे।

उपलब्द अ भलखो के अनुसार:

- अनुबन्ध पत्र मे हर निर्माण कार्य हेतु समय सारणी निर्धारित की गयी थी।
- अनुबन्ध पत्र के बिन्दु संख्या 19 मे उल्लि खत शर्तो के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा उपलब्द कराई गई धनरा श के अंतर्गत तथा स्वीकृति आगणन के अनुसार ही पूर्ण करना था। तथा
- मुख्य स चव, उत्तराखंड शासन द्वारा 13/4/2016 को यह निर्णय लया गया था क लोक निर्माण वभाग द्वारा ऐसे 29 निर्माण कार्य जो कार्य क मात्रा कम केआर प्रारम्भ कये गये है उन्हे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूर्ण मात्रा के रूप मे, पूर्ण करवाया जाये व इस हेतु व्यय होने वाली अतिरिक्त धनरा श को राज्य सरकार द्वारा वहन कया जायेगा। उक्त का अनुपालन कये जाने हेतु अधीक्षण अ भयन्ता, 8 वा वृत, लोक निर्माण वभाग, टिहरी को भी कारवाही हेतु अवगत कराया था।

उपरोक्त के सम्बंध मे कार्यालय के लेखा अ भलखो व पत्रवाली की जांच मे पाया गया क निर्माण खण्डो द्वार इन पाचों हाईस्कूल व इंटर कॉलेज जिन की स्वीकृत लागत `185.80 लाख की थी के निर्माण कार्य हेतु पुनरी क्षत आगणन `235.22 लाख को शासन से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निदेशक राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा देहरादून प्रे षत कया गया था जिसका अति थ तक राज्य सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त नही हुआ हे (उपलब्द पत्रवाली के अनुसार)। पाचों हाईस्कूल व इंटर कॉलेज मे से दो कार्य जिन की स्वीकृत लागत `64.75 लाख है के निर्माण कार्य 10/2016 से पूर्व ही पूर्ण कए जा चुके थे ले कन 12 महीने पूर्ण होने के उपरान्त भी उन को ज़िला परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा अ भयान टिहरी को हस्तांतरित नही कया गए है। इस के अतरिक्त शेष 3 निर्माण कार्य पर 80 प्रतिशत से 95 प्रतिशत पूर्ण होने के बाद दिसम्बर 2016 के उपरान्त इन कार्य पर निर्माण कार्य रोके गए है। अति थ तक उपरोक्त निर्माण कार्यो पर `118.17 लाख (माह 9/2017) का

व्यय कया जा चुका है। अ भलेखो के अनुसार मुख्य स चव, उत्तराखंड शासन द्वारा 13/4/2016 को यह निर्णय लया गया था क लोक निर्माण वभाग द्वारा ऐसे निर्माण कार्य जो कार्य क मात्रा कम कर प्रारम्भ कये गये है उन्हे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पूर्ण मात्रा के रूप मे, पूर्ण करवाया जाये व इस हेतु व्यय होने वाली अतिरिक्त धनरा श को राज्य सरकार द्वारा वहन कया जायेगा। ले कन अ0 ख0 घनसली व प्रा0खा0 नई टिहरी द्वारा दो कार्य क मात्रा कम कर प्रारम्भ कये गये है अत: मुख्य स चव, उत्तराखंड शासन द्वारा 13/4/2016 को दिये गये निर्णय के अनुसार निर्माण कार्य नहीं कये गये है। इस के साथ साथ दो इंटर कॉलेज जिन की स्वीकृत लागत `64.75 लाख है पूर्ण कए जा चुके ले कन 12 महीने होने के उपरान्त भी ज़िला परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा टिहरी को हस्तांतरित नही कया गए है जिससे: उक्त नव नि र्मत भवनो का उद्देशयो के अनुरूप उपयोग सुनि शत नही कया जा रहा है साथ ही छात्र छात्राओ को नि र्मत भवनो की सु वधा से वं चत रखा जा रहा है।

प्रकरण इं गत कए जाने पर अधीक्षण अ भयंता द्वारा अवगत कराया गया क राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से अवशेष धनराशि प्राप्त न होने के कारण ठेकेदारों द्वारा कार्य बन्द किये गये जिसके फलस्वरूप उक्त 3 कार्य अपूर्ण है एवं पूर्ण निर्मित 2 भवनों को नवम्बर 2017 तक हस्तान्तरित किये जाने की सम्भावना है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यो क निर्माण कार्यो को मुख्य स चव, उत्तराखंड शासन द्वारा 13/4/2016 को दिये गये निर्णय के अनुसार निर्माण कार्य नहीं कये गये है साथ साथ नव नि र्मत दो इंटर कॉलेज भवनो को 12 महीने होने के उपरान्त भी ज़िला परियोजना कार्यालय, राष्ट्रीय माध्या मक शक्षा टिहरी को हस्तांतरित कया जाने हेतु कोई प्रयास नहीं कया गया था।

अत: निर्माण कार्य मे श थलता के कारण नव नि र्मत हाईस्कूल व इंटर कॉलेज के भवनो की मात्र (यूनिट) को कम करके निष्पादित कया जाना उक्त को उद्देशयो के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित न कये जाने से छात्र छात्राओ को पठन पाठन मे परेशानी एव ठेकेदार के देयकों का भुगतान लंबित रहना का प्रकरण सज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर 2- **सामान्य भविष्य निधि से सदिग्ध भुगतान रू0 3.14 लाख ।**

वृत के माह मार्च 2013-के बीएम**.-5 (B.M.-5)** एवं संबन्धित अ भलेखो की जांच मे पाया गया हैं क दिनांक 21.03.2013-एवं 29.03.2013 को **सामान्य भविष्य निधि** से क्रमश : ` 3**,00,000/ = (**तीन लाख मात्र) एवं `**13,931/= (**तेरह हजार नौ सौ इक्तीस रुपये मात्र)का भुगतान **DDO CODE: 4227 DDO Name: Superintending Engineer 8th Circle PWD New Tehri** के सापेक्ष आहरण किया गया हैं। जब क वृत के **11C** पंजिका से उक्त धनरा श के बिल का अंकन नही कया गया हैं तथा इस संबंध मे यह भुगतान कसको कया गया है के कोई साक्ष्य या अ भलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं कये गये हैं। इसके साथ साथ वृत द्वारा इस सम्बंध मे कोषागार से कोई पत्राचार भी नहीं कया गया था।

इस ओर इं गत कये जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क उक्त धनरा श कार्यालय के कसी भी अ धकारी/कर्मचारी से संबन्धित नही हैं। कार्यालय की जानकारी मे न होने के कारण उक्त प्रकरण पर कार्यवाही नही हो सकी। तथा इस संबंध मे वरिष्ठ कोषा धकारी**,** टिहरी को उक्त देयकों के संबंध मे उक्त धनरा श इस कार्यालय के **BM-5** से हटाने की कार्यवाही करने हेतु लखा जाएगा। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्यो क 2013 से खंड के जीपीएफ़ खाते से ` 3,13,931**/=** का सदिग्ध भुगतान दिखाया गया हैं और चार वर्षो के बाद भी खंड द्वारा इस ओर कोई ध्यान नही दिया गया हैं।

अत: सामान्य भविष्य निधि से रू0 3.14 लाख का संदीग्ध भुगतान किये जाने का **प्रकरण संज्ञान** मे लाया जाता हैं।

STAN

<u>प्रस्तर 1:-</u> शासनादेश के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कया जाना।

<u>भाग-III</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

<u>निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या</u>	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
11/2012-13	01	-	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			लेखापरीक्षा दल को वगत निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तर की अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं कराया गया।	-

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधीक्षण अ भयन्ता, 8वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री वष्णु कुमार,	अधीक्षण अ भयन्ता	03/09/2011 से 28/08/2012।
(ii)	श्री चारूदत्त जोशी	अधीक्षण अ भयन्ता	29/08/2012 से 30/09/2014।
(iii)	श्री शव कुमार राय	अधीक्षण अ भयन्ता	01/10/2014 से 22/04/2015।
(iv)	श्री जगमोहन संह चौहान	अधीक्षण अ भयन्ता	23/04/2015 से 12/05/2015।
(v)	श्री शव कुमार राय	अधीक्षण अ भयन्ता	13/05/2015 से 06/07/2016
(vi)	श्री एन.पी. संह	अधीक्षण अ भयन्ता	07/07/2016 से अब तक।

(vii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

N.A.

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अधीक्षण अ भयन्ता, 8वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II